न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/ 24/2018

राजकुमार उम्र 53 वर्ष पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी पैंघोर हाल निवासी 1/एच, 230 इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर जिला जयपुर राज0

....अपीलान्ट

बनाम

1– राजवाला चोधरी उम्र 77 वर्ष पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी पैंधोर हाल निवासी 1/एच, 230 इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर जिला जयपुर राज0
2–राजीव कुमार कुन्तल उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी पैंघोर हाल निवासी 1/2 ऑफीसर ट्रैनिंग स्कूल (ओ.टी.एस.) जयपुर जिला जयपुर राज0
3–विनीता चौधरी उम्र 56 वर्ष । पुत्रीयान स्वं. सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी दांदू पैघोर हाल
4– सुमिता कुन्तल उम्र 50 वर्ष। निवासी 1/एच/230 इन्द्रा गाधी नगर जगतपुरा जयपुर

.....रेस्पो0 मूल

5–सुमित कुन्तल उम्र पुत्र स्व. सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी पैंधौर हाल निवासी 1/एच/230 इन्द्रा गाधी नगर जगतपुरा जयपुर

.....रेस्पो0 औपचारिक

अपील अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम यविरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार भरतपुर दिनांक 20.7.2018 बाबत नामान्तकरण संख्या 1061 ग्रांम श्रीनगर तहसील व जिला भरतपुर ।

उपस्थितः–
1–श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री प्रमोद उपमन, अभिभाषक रेस्पो.2

आदेश

दिनांक 22.11.2022

अपीलान्टस ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. वखिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 20.7.2018 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.7.2018 में मृतक सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्यारे सिंह ग्रांम पैघोंर की खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट एवं रेस्पो. 1लगा. 5 के हक में खोला जाकर तहसीलदार भरतपुर ने स्वीकार किया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो की तलबी की गई। रेस्पो संख्या 1,3,4 व 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई, जो शामिल मिसिल की गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी खाता संख्या 367 व 368 बाके ग्रांम श्रीनगर व खसरा नम्बरान 1198 लगा. 1203, 1213 लगा. 1215 तथा 1224 व 1225 के 1/2 हिस्सा यानी 1.60 है0 तथा आराजी

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

खसरा नम्बरान 1196,1197,1204,1205,1228, कुल 10.03 समस्त को अपीलार्थी एवंउत्तरवादी औपचारिक संख्या 5 ने समभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज है यह आराजी उन्हें मृतक सुरेन्द्रसिंह से जरिये वसीयत दिनांक 18.5.2012 से उत्तराधिकार से प्राप्त किया है उत्तरवादीगण मूल संख्या 1 से 4 का इस आराजी के किसी भाग से कोई सम्बन्ध नहीं है अपीलाधीन आदेश नियम विरुद्ध होने से काबिल खारिज के है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी मृतक श्री सुरेन्द्र सिंह की व्यक्तिगत पैदा की गई आराजी है, उत्तरवादी संख्या 2 के नाम अंकित हिस्सा आराजी को भी स्व. सुरेन्द्रसिंह ने अपना धन लगाकर खरीदा है इस प्रकार वसीयत के होते हुये उत्तरवादी संख्या 1 से 5 को इस आराजी में विरासतन हक प्राप्त नहीं होते हैं, दूसरा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उत्तराधिकार मृतक के निर्वसीयत मरने पर ही प्राकृतिक वारिसों को मिलता है अन्यथा नहीं, तहत न्यायालय ने वसीयत पर कोई ध्यान नहीं दिया जो नियम विरुद्ध है, तहत न्यायालय ने नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व वारिसान की विधिवत जांच नहीं की है कब्जे काश्त की कतई जांच नहीं की है, और नाहीं अपीलान्ट व रेस्पो.5 को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है। उनका यह भी तर्क है कि विरासत के नामान्तकरण को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार ग्रांम पंचायत को है, तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है जो नियमों के विपरीत है। विवादित नामान्तकरण ग्रांम पंचायत के कुर्सीनामा के आधार पर भरा गया है जबकि कथित कुर्सीनामा को परिपत्र दिनांक 23.2.2021 के अनुसार राज. सरकार के ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के अनुसार विधिक दृष्टि से अमान्य माना गया है। रेस्पो. राजवाल, विनीता चौधरी एवं सुमिता चौधरी ने अपने हकत्याग विलेखो के द्वारा अपने हिस्सों का अपीलार्थी व उत्तरवादी तरतीवी के हक में अपना हक त्याग किया है, साथ ही अपीलार्थी व सुमित उत्तरवादी तरतीवी के हक में मृतक द्वारा विधिवत रुप से इच्छापत्र छोडे जाने का कथन भी अंकित कराया है। उत्तरवादी सिवाय राजीव कुन्तल के सभी ने वसीयत को स्वीकार किया है, इस प्रकार अपील अपीलार्थी काबिल स्वीकार के रहती है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के म्याद बाहर होने के बारे में बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से मिलने पर दिनांक 13.9.2010 को हुई थी, हल्का पटवारी ने उक्त नामान्तकरण के बारे में जानकारी दी थी, तब जाकर जमांबन्दी की नकल वगे. ली उससे जानकारी हुई और अपील जानकारी होने की दिनांक से अंदर म्याद पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1977 पेज 233 एलवी, डीएनजे 2022(2) पेज 966 उद्धरत करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1061 निरस्त किये जाने एवं वसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्कों में जाहिर किया विवादित नामान्तकरण मृतक सुरेन्द्रसिंह की विरासत का उनके लीगल वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पो. के हक में स्वीकार किया गया है, जिसमें तहत न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है। अपीलान्ट कोई कथित वसीयत के आधार पर नामान्तकरण को चेलेन्ज किया है। योग्य अभिभाषक तर्क है कि अपीलान्ट ने जिस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र का हवाला दिया है वह दिनांक 23.2.2021 परिपत्र है, जब कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1061 दिनांक 20.7.2018 को स्वीकार किया गया है, उक्त परिपत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं जिससे इसे भूतलक्षी माना जासके यानि यह परिपत्र अपीलाधीन आदेश पर लागू नहीं होता है। योग्य अभिभाषक का यह

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

भी तर्क है कि अपीलान्ट कथित वसीयत के आधार पर अपने हक में नामान्तकरण खुलवाना चाहता है, अपीलान्ट ने वसीयत को किसी भी कोर्ट से वसीयत को नहीं कराया है। नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिंडिग है। अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज करना चाहिये। अपील म्याद बाहर पेश की गई है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1992 पेज 360, आरआरटी 2003(1) पेज 650, आर. आर.डी. 1990 पेज 517, आर.आर.डी. 2005 पेज 87, आर.आर.डी. 2005 पेज 85, आर.आर.डी. 1991 पेज 540 उद्यरत करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 1061 दिनांक 20.7.2018 पर गौर किया गया, नामान्तकरण संख्या 1061 मृतक सुरेन्द्रसिंह की विरासत का उनके लीगल वारिसान के नाम दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है।

अपील मुख्य रुप से निम्न बिन्दू तैय किये जाने है –

1– क्या अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है?
2– आया अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1061 लीगल वारिसान के नाम दर्ज नहीं किया गया है?
3– क्या नामान्तकरण कार्यवाही में वसीयतनामा वगे. को तैय किया जासकता है?
4– क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर परिपत्र दिनांक 23.2.2021 से अपीलाधीन आदेश प्रभावित हैं?

1– प्रथम हमने कानूनी बिन्दू म्याद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा –5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। रेस्पो ने उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

> Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर0वी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–
" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उपर्युक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 05 को स्वीकार किया जाकर अपील की देरी को माफ करते हुये प्रकरण की मैरिट पर विचार किया गया।

2– अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1061 मृतक सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्योर सिंह के लीगल वारिसान के नाम दर्ज किया गया है। अपील अपीलान्ट ने नामान्तकरण में दर्ज सुरेन्द्रसिंह के वारिसान

........4

जिला कलक्टर
भरतपुर । राज0

नही होने बाबत कोई आपत्ति नहीं की है। यानि यह तो सही है कि मृतक सुरेन्द्र सिंह के लीगल वारिसान के हक में नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। जिसमें तहत न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। जैसा कि आरआरडी 1991 पेज 540 में उद्धरत किया है–

> **(b) Hindu Law –** Successor to deceased hindu acquires the rights of the deceased immediately after his death- A hindu widow acquires a riaght in the property of the deceased husband immdiately after his death. (para 6)

3– नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिंडिग है, नामान्तकरण में किसी पक्षकार के हक हकूक तैय नहीं होते हैं। जहॉ तक प्रश्न वसीयत का है, अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय से अपने हक हकूक तैय कराने चाहिये। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने आरआरटी 2003(1) पेज 650 में प्रतिपादि किया है –

> Rajasthan Land Revemie Act, 1956 – Sec. 135 – Mutation proceeding- fiscal entries like mutation does not represent or create any tltle or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of will or adoption can be sellted in mutation prceedings nad the parties have to approcach the appropriate forum for adjudication of title.

4– अपीलान्ट ने जिस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र का हवाला दिया है वह दिनांक 23.2.2021 को जारी परिपत्र है, जब कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1061 दिनांक 20.7.2018 को स्वीकार किया गया है, उक्त परिपत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं जिससे इसे भूतलक्षी माना जासके यानि यह परिपत्र अपीलाधीन आदेश के बाद का है जो अपीलाधीन आदेश पर लागू नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1061 दिनांक 20.7.2018 स्वीकार करने मे कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर